

झारखण्ड विधान सभा



सत्यमेव जयते

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय
(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन)

विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 में संशोधन।
3. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 के उप धारा (1) में शब्द "पचास हजार" का प्रतिस्थापन।
4. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 के उप धारा (2) में शब्द "एक लाख" का प्रतिस्थापन।
5. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 में संशोधन।
6. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 के उप धारा (1) के खण्ड (a) में शब्द "दो लाख पचास हजार" का प्रतिस्थापन।

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन)

विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में इसके अनुप्रयोग के लिए बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-12, 1887) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम बंगाल, आगरा तथा असम व्यवहार न्यायालय (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 में संशोधन। - बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-12, 1887) (आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-19 में :-
 - (i) उप धारा (1) में शब्द "पचास हजार" को शब्द "पाँच लाख" से प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 - (ii) उप धारा (2) में शब्द "एक लाख" को शब्द "सात लाख" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 में संशोधन। - धारा-21 में :-
 - (i) उप धारा (1) की खण्ड (a) में शब्द "दो लाख पचास हजार" को शब्द "पचीस लाख" से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

यह विधेयक बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 19 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 19 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

[सभा द्वारा पारित]

झारखण्ड राज्य में इसके अनुपयोग के लिए बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय

अधिनियम, 1987 (अधिनियम-12, 1987) में संशोधन करने के लिए (दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

भारत गणराज्य के अन्तर्गत जो में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं शुरुआत - (1) यह अधिनियम बंगाल, आगरा तथा असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 का अधिनियम -

(2) इसके विस्तार अपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम-12, 1987 की धारा-10 में संशोधना - बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1987 (अधिनियम-12, 1987) (जो अन्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-10 में -

(1) उप धारा (1) में शब्द "पचास हजार" को शब्द "पाँच लाख" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) उप धारा (2) में शब्द "एक लाख" को शब्द "आठ लाख" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. अधिनियम-12, 1987 की धारा-21 में संशोधना - धारा-21 में -

(1) उप धारा (1) की शब्द (a) में शब्द "दो लाख पचास हजार" को शब्द "दो लाख" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।